

संख्या 6 व 7 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी रामकुमार का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा सोनेली के खाता संख्या 158 प्रदर्श-1 कराई। एवं खारारा नम्बर 528 का नकली नक्शा प्रस्तुत किया। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाडा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### - : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा सोनेली के खेत खसरा नम्बर 528 रकबा 7.1953 हैक्टेयर में वादी रामकुमार पुत्र मुगनाराम के हक हिस्से काब्जा कास्त में रकबा 1.4569 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का रखा जाकर, खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. शंष खसरान यथावत घोषित किये जाते है।
3. उक्त खसरान में से बैंक रहन खसरों का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.8.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल